

भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या: 1868

गुरुवार, 31 जुलाई, 2025/9 श्रावण, 1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

विमानों में खामियां

1868. श्री विजय कुमार हाँसदाकः

श्री बलवंत बसवंत वानखड़ेः

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2021-22 से देश में संचालित एयरलाइनों के लिए रिपोर्ट की गई और दर्ज की गई खामियों की वर्षवार और श्रेणीवार संख्या कितनी है;

(ख) वर्ष 2023-24 से ऐसी खामियों के संबंध में की गई कुल जाँचों की वर्षवार संख्या कितनी है;

(ग) क्या कोई एयरलाइन खामियों को दर्ज करने, रिपोर्ट करने, जाँच करने या उसे सुधारने के लिए नागरिक विमानन आवश्यकताओं (सीएआर) के प्रावधानों का पालन करने में विफल रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) नागरिक विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) में दर्ज की गई यात्री शिकायतों की कुल वर्षवार संख्या कितनी है; और

(ङ) हाल ही में हुई विमानन क्षेत्र की त्रासदी को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा मानकों को मजबूत करने और इन्हें लागू करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों/नए उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) से (ग) : नागर विमानन महानिदेशालय के पास नागर विमानन अपेक्षाओं (सीएआर) के अंतर्गत व्यापक विनियम हैं जो यह निर्दिष्ट करते हैं कि विमान और विमान के पुर्जों में खामियों/सर्विस संबंधी त्रुटियों को किस प्रकार दर्ज, रिपोर्ट, जाँच और विश्लेषित किया जाना चाहिए ताकि समय पर सुधारात्मक/निवारक कार्रवाई की जा सके। सभी विमान प्रचालकों के संगठन में एक ऐसा तंत्र होगा जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि सभी खामियां, चाहे वे छोटी हों अथवा अन्य, भले ही उड़ान कर्मीदल द्वारा रिपोर्ट की गई हों अथवा रखरखाव दल द्वारा देखी गई हों, दर्ज की जाएँ और उचित सुधारात्मक कार्रवाई हेतु उनकी जाँच की जाए। गंभीर प्रकृति की सभी खामियों की सूचना सभी प्रचालकों को तत्काल नागर विमानन महानिदेशालय को देनी होगी। नागर विमानन महानिदेशालय की संपरीक्षा के दौरान यदि यह पाया जाता है कि एयरलाइन द्वारा खामियों की सूचना नहीं दी गई है, तो नागर विमानन महानिदेशालय अन्वेषण शुरू करता है और प्रवर्तन नीति एवं प्रक्रिया नियमावली के अनुसार उचित कार्रवाई करता है।

वर्ष 2021 से 2025 (जून 2025 तक) तक विमानों में रिपोर्ट की गई तकनीकी खामियों का विवरण इस प्रकार है:

वर्ष	तकनीकी खामियों की संख्या
2021	514
2022	528
2023	448
2024	421
2025	183

पिछले 5 वर्षों (जून 2025 तक) के दौरान रिपोर्ट की गई गंभीर खामियों/कठिनाइयों के संबंध में कुल 2094 अन्वेषण किए गए हैं।

(घ) : वर्ष 2021-22 से नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) में दर्ज की गई यात्री शिकायतों की कुल संख्या इस प्रकार है:

वर्ष	शिकायतों की संख्या
2021	4131
2022	3783
2023	5513
2024	4016
2025	3925

(ङ) : नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) के पास विमानों के सुरक्षित परिचालन और उनके रखरखाव के लिए व्यापक और संरचित नागर विमानन विनियम हैं। इन विनियमों को निरंतर अद्यतित किया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (आईसीएओ) /यूरोपीय संघ विमानन सुरक्षा एजेंसी (ईएसए) मानकों के अनुरूप बनाया जाता है।

दुर्घटना के बाद, नागर विमानन महानिदेशालय ने तत्काल प्रणालीगत समस्याओं की पहचान करने और उन्हें ठीक करने के लिए, सुरक्षा आश्वासन के महत्वपूर्ण घटक की जाँच और निरीक्षण में वृद्धि की है।
